संख्या-417/2023/1538/22-2-2023-17(397)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमचन्द उर्फ नंगा चौधरी पुत्र श्री यदुवंश, निवासी जनपद-बस्ती वर्तमान जनपद-सन्तकबीरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14565/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-05-2023) दिनांक-04-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमचन्द उर्फ नंगा चौधरी पुत्र श्री यदुवंश, जो बन्हौता, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती, वर्तमान जनपद-सन्तकबीरनगर का निवासी है। दिनांक 22.12.2004 को बन्दी ने नौकरी दिलाने के बहाने विरेन्द्र व सुनील उर्फ मन्टू को अपने यहां लेकर गया और उनकी वापसी के लिये रूपया मांगा। रूपया न मिलने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनो की हत्या कर दी और जमीन में दफना दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,364,342,201/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-3, बस्ती के आदेश दिनांक 15.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 15.10.2022 तक 17 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 04 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 22.12.2004 को बन्दी ने नौकरी दिलाने के बहाने विरेन्द्र व सुनील उर्फ मन्टू को अपने यहां लेकर गया और उनकी वापसी के लिये रूपया मांगा। रूपया न मिलने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनो की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेमचन्द उर्फ नंगा चौधरी पुत्र श्री यदुवंश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमचन्द उर्फ नंगा चौधरी (बन्दी संख्या-446/2007) पुत्र श्री यदुवंश, निवासी जनपद-बस्ती, वर्तमान जनपद-सन्तकबीरनगर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-417/2023/1538(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-417/2023/1538/22-2-2023-17(397)/2023**

**दिनांक 26 जून, 2023 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

**केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमचन्द उर्फ नंगा चौधरी पुत्र श्री यदुवंश, जो बन्हौता, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती, वर्तमान जनपद-सन्तकबीरनगर का निवासी है। दिनांक 22.12.2004 को बन्दी ने नौकरी दिलाने के बहाने विरेन्द्र व सुनील उर्फ मन्टू को अपने यहां लेकर गया और उनकी वापसी के लिये रूपया मांगा। रूपया न मिलने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनो की हत्या कर दी और जमीन में दफना दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,364,342,201/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-3, बस्ती के आदेश दिनांक 15.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 15.10.2022 तक 17 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 04 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

**प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 22.12.2004 को बन्दी ने नौकरी दिलाने के बहाने विरेन्द्र व सुनील उर्फ मन्टू को अपने यहां लेकर गया और उनकी वापसी के लिये रूपया मांगा। रूपया न मिलने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनो की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेमचन्द उर्फ नंगा चौधरी पुत्र श्री यदुवंश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।**

**उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।**

**कृष्ण कुमार सिंह**
**उप सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in